



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका कर क्रमांक 204/2024

1 - सुबोध सिंघानिया पिता श्याम लाल सिंघानिया, आयु लगभग 54 वर्ष, निवासी- 5 वीं स्कूल रोड, चौबे कॉलोनी, रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001

... याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1- भारत संघ द्वारा- सचिव राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001

2 - प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय) भोपाल, जाबा में, प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय), भोपाल का कार्यालय, जाबा में, आयकर महानिदेशक, आयकर भवन, 48, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश, 462011

3 - सहायक आयकर आयुक्त केंद्रीय वृत्त 2 रायपुर कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त केंद्रीय वृत्त 2, रायपुर केंद्रीय राजस्व भवन, राय 02, राय 03, राय 04, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001

4 - आयुक्त आयकर (अपील) राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (एनएफएसी), दिल्ली

5 - अपर आयकर आयुक्त (केंद्रीय), रायपुर कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (केंद्रीय), रायपुर, रायपुर केन्द्रीय राजस्व भवन, राय 02, राय 03, राय 04, रायपुर, छत्तीसगढ़, 492001



6 - उप आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-2, रायपुर कार्यालय उप आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-2, रायपुर, रायपुर केन्द्रीय राजस्व भवन, राय 02, राय 03, राय 04, रायपुर छत्तीसगढ़, 492001

...उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता हेतु : श्री सिद्धार्थ दुबे, अधिवक्ता  
उत्तरवादी क्रमांक 1 हेतु : श्री रमाकांत मिश्रा, अधिवक्ता की ओर से श्री ऋषभ देव सिंह, अधिवक्ता  
उत्तरवादी क्रमांक 2 से 6 हेतु : श्री अमित चौधरी, अधिवक्ता की ओर से श्री अजय कुमरानी, अधिवक्ता



माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा

बोर्ड पर आदेश

28.11.2024

1. उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका की अग्रिम प्रतिलिपि स्वीकार कर ली है और संबंधित पक्षकारों की सहमति से प्रकरण की सुनवाई की जाती है एवं अंतिम रूप से निराकरण किया जाता है।

2. वर्तमान याचिका दिनांक 18.10.2024 के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 की मांग पर रोक लगाने से संबंधित पुनर्विलोकन को खारिज कर दिया गया था। उत्तरवादी क्रमांक 2/प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) भोपाल के समक्ष दिनांक 26.06.2024 को प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 14.06.2024 के आदेश के



विरुद्ध जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 3/सहायक आयकर आयुक्त केन्द्रीय वृत्त 2 रायपुर के समक्ष आयकर अधिनियम की धारा 220 उपधारा (6) के अन्तर्गत करदाता/याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन/करदाता को चूककर्ता न मानने का आवेदन दिनांक 30.04.2024 को खारिज कर दिया गया, जिसके द्वारा दिनांक 18.10.2024 एवं 14.06.2024 के आक्षेपित आदेशों को गुप्त रूप से तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विस्तृत तर्कों की विवेचना किए बिना तथा वित्तीय कठोरता एवं सुविधा के संतुलन पर विचार किए बिना तथा सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना खारिज कर दिया गया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि उत्तरवादी क्रमांक 3 के समक्ष धारा 220(6) के अधीन प्रस्तुत आवेदन और उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन में, याचिकाकर्ता ने अपना मजबूत प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, वित्तीय कठिनाई, वास्तविक कठिनाई का प्रदर्शन किया था और राजस्व के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी पेश की थी। यद्यपि, दोनों अधिकारियों ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए तर्कों की विवेचना किए बिना और उक्त आवेदन और पुनर्विलोकन की सामग्री पर विचार किए बिना और कथनों और तर्कों पर कोई विवेक को प्रयोग किए बिना, दिनांक 14.06.2024 को स्थगन आवेदन को खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश पारित कर दिया है और याचिकाकर्ता को निर्देश क्रमांक के अनुसार मांग का 20% जमा करने का निर्देश दिया है। 1914 दिनांक 29.02.2016 और दिनांक 18.10.2024 को भी आदेश पारित कर पुनर्विलोकन को खारिज कर दिया है और उत्तरवादी क्रमांक 2 ने याचिकाकर्ता को 5 माह में किस्त द्वारा 20% राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि दिनांक 18.10.2024 और 14.06.2024 के आक्षेपित आदेश सारहीन आदेश हैं क्योंकि वे उन कारणों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं कि मूल्यांकनकर्ता /याचिकाकर्ता का पुनर्विलोकन और स्थगन आवेदन सारहीन क्यों हैं और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मूल्यांकनकर्ता/याचिकाकर्ता का



प्रकरण 29.02.2016 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित स्थगन के मानदंडों के सीमा में कैसे नहीं आता है, जिसे दिनांक 31.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा संशोधित किया गया है। आक्षेपित आदेश वित्तीय वर्ष 2022-23 की मांग पर स्थगन से संबंधित पुनर्विलोकन और वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित स्थगन आवेदन का निराकरण करते समय मूल्यांकनकर्ता/याचिकाकर्ता के प्रकरण को संक्षेप में भी निर्धारित नहीं करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 जो कि **केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड विरुद्ध बीआर बालकृष्णन व अन्य 2001 एससीसी ऑनलाइन बॉम 1229** में प्रतिवेदित प्रकरण में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा प्रतिपादित मापदंडों के विपरीत है, उन मामलों में अधिकारियों द्वारा इसका परिपालन किया जाना आवश्यक है जहां किसी करदाता द्वारा प्रथम अपीलार्थी प्राधिकारी के समक्ष अपील लंबित रहने तक स्थगन आवेदन किया जाता है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे व्यक्त किया कि तर्कों पर विचार किए बिना और न्यूनतम संक्षिप्त कारणों का संकेत दिए बिना वर्तमान प्रकरण में पुनर्विलोकन और स्थगन आवेदन को अस्वीकार करना **यूटीआई म्यूचुअल फंड विरुद्ध आयकर अधिकारी 13(3)(2) व अन्य 2012 एससीसी ऑनलाइन बॉम 390** में प्रतिवेदित प्रकरण में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अस्वीकार्य है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे व्यक्त किया कि यह स्थापित विधि है कि माननीय कर निर्धारण अधिकारी और उनके उच्च अधिकारी को आक्षेपित आदेशों पर निर्णय देते समय तीन सिद्धांत अर्थात् प्रथम दृष्टया प्रकरण, वित्तीय अभाव और सुविधा का संतुलन लागू करना आवश्यक है। उपर्युक्त तीन सिद्धांतों के लागू होने पर ही कर निर्धारण कार्यालय या उच्च अधिकारी आक्षेपित मांग पर रोक लगाने के अनुरोध को पूर्णतः या आंशिक रूप से मंजूर या खारिज करने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यद्यपि इस प्रकरण में उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 ने तीन सिद्धांत को विचार में रखे बिना



और सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना ही अवैध और गुप्त रूप से अस्वीकृति आदेश पारित कर दिए। इस प्रकार दिनांक 14.06.2024 और 18.10.2024 के आक्षेपित आदेश अवैध हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए पारित किए गए हैं।

7. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 1 व उत्तरवादी क्रमांक 2 से 6 के विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध किया और आक्षेपित आदेशों का समर्थन किया।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, आक्षेपित आदेशों का परिशीलन किया है और अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

9. अभिलेखों के परिशीलन से यह तथ्य सामने आया कि उत्तरवादी प्राधिकारियों ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 31.03.2024 को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 156 के अंतर्गत जारी मांग सूचना की प्रतिलिपि सहित याचिकाकर्ता के विरुद्ध मूल्यांकन आदेश पारित किया है। तत्पश्चात याचिकाकर्ता ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 220(6) के अंतर्गत दिनांक 29.04.2024 को उत्तरवादी क्रमांक 3 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। उत्तरवादी क्रमांक 3 ने प्रथम दृष्टया मामले, सुविधा संतुलन, याचिकाकर्ता को हुई अपूरणीय क्षति, वास्तविक कठिनाई, सीबीडीटी निर्देश और अतिरंजित मूल्यांकन के आधार पर प्रकरण का निर्णय नहीं किया। उत्तरवादी क्रमांक 3 ने दिनांक 14.06.2024 को बिना किसी तर्क और स्पष्ट आदेश के आवेदन को खारिज कर दिया। तत्पश्चात, इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 2/पीसीआईटी (केन्द्रीय) भोपाल के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने भी पुनरीक्षण आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया तथा दिनांक 18.10.2024 को 5 माह में किशतों में कर देयता का 20% भुगतान





करने का आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार, दिनांक 14.06.2024 एवं 18.10.2024 के आक्षेपित आदेश सारहीन आदेश हैं।

10. इस न्यायालय ने मेसर्स आरती स्पॉज एंड पावर लिमिटेड विरुद्ध सहायक आयकर आयुक्त व अन्य के प्रकरण में दिनांक 10.04.2018 को निर्णय दिया कि समनुदेशिती अधिकारी द्वारा निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

“18. मेरे मतानुसार, उक्त प्रश्न अब एकीकृत नहीं रह गया है और इसे केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड विरुद्ध बीआर बालाकृष्णन व अन्य के प्रकरण में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा सुस्थापित किया जा चुका है, जिसमें तत्कालीन माननीय न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की ओर से बोलते हुए, इसी प्रकार के विवाद्यकों पर विचार करते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं:-

“यह बिना कोई कारण बताए आदेश पारित किए जाने का परिणाम है। इसलिए, हम कुछ मानदंड निर्धारित करना चाहते हैं जिनका पालन अधिकारियों द्वारा उन प्रकरणों में किया जाना आवश्यक है जहां करदाता द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील लंबित रहने तक स्थगन आवेदन किया जाता है। मानदंड:

(क) स्थगन आवेदन पर विचार करते समय, संबंधित प्राधिकरण कम से कम करदाता का प्रकरण तो बताएगा।

(ख) ऐसे मामलों में जहां आक्षेपित आदेश के अधीन निर्धारित आय लौटाई गई आय से कहीं अधिक है, प्राधिकरण इस बात पर विचार करेगा कि क्या करदाता ने बिना शर्त स्थगन के लिए प्रकरण बनाया है। यदि नहीं, तो क्या अपील में शामिल प्रश्नों को देखते हुए, राशि का एक





हिस्सा जमा करने का आदेश दिया जाना चाहिए , जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश में कुछ संक्षिप्त प्रथम दृष्टया कारण दिए जा सकते हैं।

(ग) ऐसे मामलों में जहां करदाता वित्तीय कठिनाइयों पर निर्भर करता है, संबंधित प्राधिकारी संक्षेप में संकेत दे सकता है कि क्या करदाता वित्तीय रूप से सक्षम है और राशि जमा करने के लिए व्यवहार्य है , यदि प्राधिकारी चाहता है कि करदाता ऐसा करे।

(घ) संबंधित प्राधिकारी यह भी जांच करेगा कि अपील करने का समय समाप्त हो गया है या नहीं। आम तौर पर , अपील में जाने के लिए कानून द्वारा प्रदान की गई अवधि के दौरान बलपूर्वक उपाय नहीं अपनाए जा सकते हैं। यद्यपि, यदि संबंधित प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि करदाता मांग को खारिज करने की संभावना है, तो वह बलपूर्वक कार्रवाई का सहारा ले सकता है जिसके लिए आदेश में संक्षिप्त कारणों का संकेत दिया जा सकता है।

(ड) हम स्पष्ट करते हैं कि यदि संबंधित प्राधिकारी स्थगन आवेदन पर आदेश पारित करते समय उपरोक्त मापदंडों का परिपालन करता है, तो विभाग के प्रशासनिक पक्ष के अधिकारियों जैसे कि उत्तरवादी क्रमांक 2 को एक बार पुनः तर्कसंगत आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

11. उपरोक्त दिशा-निर्देशों का बाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा **यूटीआई म्यूचुअल फंड विरुद्ध आयकर अधिकारी 19(3)(2) व अन्य** के प्रकरण में पुनः परिपालन किया गया , जिसमें डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड, न्यायमूर्ति (तत्कालीन माननीय न्यायाधीश) ने **केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड** (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित निर्णय का परिपालन करते हुए पुनः कुछ और दिशा-निर्देश जारी किए, जो निम्नानुसार हैं:-



“हम सम्मानपूर्वक कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण अवलोकन हैं जिन्हें मूल्यांकन अधिकारियों को विचार में रखना चाहिए। केईसी इंटरनेशनल में खण्डपीठ द्वारा निर्धारित मापदंडों और कोको कोला में निर्णय के अवलोकनों के अनुरूप , हम निर्देश देते हैं कि वसूली को प्रभावशील बनाने के लिए निम्नलिखित दिशा - निर्देशों को विचार में रखा जाना चाहिए:

1. कर की वसूली लंबित नहीं की जानी चाहिए:

(क) अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा समाप्त हो जाना;

(ख) करदाता द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन का निराकरण, यदि कोई हो, और उसके बाद उचित अवधि के लिए करदाता को उच्च मंच पर जाने में सक्षम बनाना, यदि ऐसा सलाह दी जाती है। यद्यपि, जब प्राधिकरण के पास यह मानने के कारण हों कि करदाता मांग को नकार सकता है , तो बलपूर्वक कदम उठाए जा सकते हैं, जिसमें प्रकरणके संक्षिप्त कारणों का संकेत दिया जा सकता है।

2. करदाता द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा करदाता की सुनवाई के पश्चात तथा केईसी इंटरनेशनल में दिए गए दिशा -निर्देशों को विचार में रखते हुए किया जाना चाहिए;

3. यदि करदाता अधिकारी ने तथ्यों या कानून में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए बिना पिछले वर्षों में अपनाए गए निर्णय के विपरीत कोई दृष्टिकोण अपनाया है, तो स्थगन आवेदन पर निर्णय लेने में यह एक सुसंगत विचार है;

4. जब बैंक खाता कुर्क किया गया हो, तो राशि निकालने से पहले करदाता को उचित पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि करदाता अपना पक्ष रख सके या कानून में उपाय का सहारा ले सके;

5. स्थगन की शक्तियों का प्रयोग करते समय आयकर अधिकारी को केवल कर संग्रहकर्ता के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए , बल्कि एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना चाहिए, जिसे राजस्व के हितों की रक्षा करने का सार्वजनिक कर्तव्य सौंपा गया है, साथ ही करदाता की कठिनाई को कम



करने की आवश्यकता को संतुलित करना चाहिए। यद्यपि एओ ने मूल्यांकन कर लिया है, फिर भी उसे स्थगन के लिए आवेदन पर निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना चाहिए, यह देखते हुए कि उसके आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है : प्रकरणपर सभी पहलुओं से विचार किया जाना चाहिए, जिसमें करदाता के हितों और राजस्व की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए।”

12. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के स्थगन आवेदन और पुनर्विलोकन पर निर्णय लेने में असाइनमेंट अधिकारी ने सही प्रक्रिया नहीं अपनाई है और **केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड** (पूर्वोक्त) और **यूटीआई म्यूचुअल फंड** (पूर्वोक्त) में **बॉम्बे उच्च न्यायालय** द्वारा बताए गए दिशानिर्देशों और **मेसर्स आरती स्पॉज एंड पावर लिमिटेड** (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का परिपालन नहीं किया है।

13. उपर्युक्त विवेचनों के दृष्टिगत, दिनांक 14.06.2024 और 18.10.2024 के आक्षेपित आदेशों को अपास्त किया जाता है और प्रकरण को उत्तरवादी क्रमांक 2 को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित दिशा-निर्देशों के आलोक में स्थगन आवेदन पर नए सिरे से विचार करने और **मेसर्स आरती स्पॉज एंड पावर लिमिटेड** (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय द्वारा अनुपालनार्थ प्रतिप्रेषित किया जाता है और आक्षेपित मांग पर स्थगन देने के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए की गई अवलोकनों के आलोक में पक्षकारों को सुनने के उपरांत इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

14. साथ ही, स्थगन आवेदन के निर्णय तक, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी बलपूर्वक कदम नहीं उठाया जाएगा। इस दौरान, याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष 17 दिसंबर, 2024 को उपस्थित होने हेतु स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है।



15. उपर्युक्त अवलोकनों सहित, रिट याचिकाओं का निराकरण किया जाता है।
16. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

(अरविन्द कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

